

ए1/233/2020-टी

27 अप्रैल 2020

व्यापार सूचना संख्या 2/2020

विषय: महामारी कोवीड-19 संबंधित लॉकडाउन उपायों पर पार्किंग शुल्क में छूट के संबंध में।

1. कोवीड-19- महामारी और लॉकडाउन के उपायों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित लॉजिस्टिक श्रृंखला को समर्थन और इसके पुनर्निर्माण के लिए, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों, बंदरगाह संचालकों, शिपिंग लाइनों, ट्रांसपोर्टर्स आदि सहित लॉजिस्टिक चेन संबंधी व्यापार को कुछ राहत देने का निर्णय लिया है।
2. पोत परिवहन मंत्रालय ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पत्रांक पीडी-14033/4/2020-पीडी VII दि. 21.04.2020 द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान यानि 22 मार्च से 3 मई 2020 तक पोर्ट उपयोगकर्ताओं पर लगाए गए प्रभारों पर छूट प्रदान करने का निर्देश दिया है।
3. तदनुसार, कोचिन पोर्ट ने जिलाधीश, एरणाकुलम के साथ 30.07.2019 को संपन्न बैठक के निर्णयानुसार 22 मार्च से 3 मई 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान लगाए गए पार्किंग शुल्क को माफ करेगा और एलएनजी रोड, वल्लारपाडम में वाहनों की पार्किंग को अनुमति देगा। पहले से भुगतान किए गए प्रभारों को लिखित अनुरोध के साथ सबूत के तौर पर भुगतान किए गए राशि के दस्तावेजों के साथ अगली अवधि के लिए देय शुल्कों में समायोजित किया जाएगा।

*JSU*  
27/4/2020  
सचिव

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

प्रति:

- कोचिन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन, कोचिन
- कोचिन कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन, कोचिन
- कोचिन कंटेनर कैरियर ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन
- केरल कंटेनर कैरियर ओनर्स एसोसिएशन
- वल्लारपाडम कंटेनर ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन
- सीमा शुल्क ब्रोकर्स ट्रेलर एसोसिएशन
- आईलैण्ड कंटेनर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन
- कंटेनर वेलफेयर एसोसिएशन केरल

कृपया अपने सभी सदस्यों के साथ  
इस जानकारी को साझा करने के अनुरोध के साथ

सदय सूचनार्थ:

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/यातायात प्रबंधक/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक/वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक(ईएण्डओ)/सहायक यातायात प्रबंधक(सीएफएस), कोचिन पोर्ट वरिष्ठ उप निदेशक(ईडीपी)- कार्यालयीन वेबसाइट में व्यापार सूचना को होस्ट करने हेतु हिन्दी अधिकारी-व्यापार सचनता के हिन्दी अनवाद करने हेतु